

प्रेषक,

क्षेत्रीय सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश,
क्षेत्रीय कार्यालय, रामनगर
(नैनीताल)

सेवा में,
प्रबन्धक,

पत्र संख्या: क्षेत्र ० का०, मा० शि० प०/मान्यता/

रामनगर, दिनांक 15/4/2000

विषय :- आपका हाई स्कूल/इन्टरमीडिएट परीक्षा के लिए नवीन/अतिरिक्त (बर्ग/विषय) की मान्यता का प्रार्थना-पत्र।

महोदय,

शासन ने मान्यता सविधि एवं सम्प्रति माध्यमिक शिक्षा परिषद् की संस्तुति के उपरान्त इन्टरमीडिएट शिक्षा (कंसोलिडेटेड) अधिनियम, 1987/1921 की धारा 7-क(क)/धारा 9(4) के अन्तर्गत आपके विद्यालय की बालक/बालिका विद्यालय के रूप में परिषद् की 2001 की हाई स्कूल/इन्टरमीडिएट परीक्षा से निम्नलिखित वर्ग/विषयों में सामान्य व विशेष प्रतिबन्धों के साथ नवीन/अतिरिक्त बर्ग/विषयों में वित्त विहीन मान्यता दिये जाने का आदेश प्रदान किया है।

सामान्य प्रतिबन्ध

- (1) इस पत्र में अंकित वर्ग/विषय की नवीन 9वीं/11वीं कक्षा संचालित करने के पूर्व शिक्षा के प्रबन्ध से (जैसे अध्यापकगण, सज्जा, शिक्षण-सामग्री, प्रयोगशाला, भवन, पुस्तकालय, स्थान, प्राभूत, सुरक्षित कोष एवं आर्थिक स्थिति और अन्य प्रतिबन्धों की पूर्ति) तथा विद्यालय के अनुशासन व प्रशासन से जिला विद्यालय निरीक्षक/मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक (मा०) को पूर्णरूपेण संतुष्ट कर उनसे लिखित अनुमति प्राप्त कर ली जाय। बिना उनकी लिखित अनुमति के संचालित कक्षा अमान्य व अनियमित होगी और इसके लिए संस्थाधिकारी ही स्वयमेव उत्तरदायी होंगे।
- (2) इस आदेश-पत्र के निर्गत होने की तिथि से दो वर्ष के अन्दर ही जिला विद्यालय निरीक्षक/मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक (मा०) से 9वीं/11वीं कक्षा संचालित करने की अनुमति प्राप्त कर ली जाय, अन्यथा इस पत्र द्वारा प्रदत्त मान्यता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
- (3) सज्जा की व्यवस्था शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार की जाय। इसके लिए सिंगल सीटेड डेस्क व चेयर्स ही स्वीकार किये जायेंगे।
- (4) इस पत्र में अंकित विषयों के अध्यापनार्थ परिषद् द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं से विभूषित अंशकालिक अध्यापकों/अध्यापिकाओं की नियुक्ति नियमानुसार की जाय।
- (5) नियमानुसार एक योग्य प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या की नियुक्ति की जाय।
- (6) नवीन कक्षाएं संचालित करने का समस्त व्यय संस्थाधिकारी स्वयमेव वहन करें।

(क० प० उ०)

कार्यालय- मुख्य शिक्षा अधिकारी, देहरादून।

पत्रांक : शिविर(बे०)/15-क/ 115 / नवीनीकरण / 2019-20 / दिनांक ०८ मई, 2019

नवीनीकरण आदेश

इस कार्यालय के पत्रांक शिविर(मा०)/15-क/11521-11650/मान्यता/2013-14 दिनांक 13.09.2013 के द्वारा श्री गोवर्धन सरस्वती शिशु मन्दिर, 38 धर्मपुर, देहरादून (मान्यता कोड 586) को कक्षा 01 से कक्षा 08 तक (हिन्दी माध्यम) के संचालन की अनुमति दिनांक 31.07.2018 तक प्रदान की गयी थी। आपके द्वारा प्रस्तुत स्वघोषणा पत्र के आधार पर दिनांक 01.08.2018 से आगामी 5 वर्ष के लिये नवीनीकृत किया जाता है और पांच वर्ष उपरान्त नवीनीकरण हेतु आवेदन करना अनिवार्य है। पूर्व आदेश की शेष शर्तें यथावत रहेगी।

भवदीय,

(आशारानी पैन्चूली)
मुख्य शिक्षा अधिकारी,
देहरादून।

पृ०सं० शिविर(बे०)/15-क/ 1391-96 /नवीनीकरण/2018-19 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. निदेशक माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०), देहरादून।
4. जिलाधिकारी, देहरादून द्वारा नामित सदस्य, जिला प्रोबेशन अधिकारी, जनपद देहरादून।
5. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी को इस आशय से कि आर०टी०ई० नियमावली, 2011 के अनुसार आप विद्यालय निरीक्षकर्ता अधिकारी हैं, अतः अधिनियम एवं नियमावली में दी गयी व्यवस्था के अनुसार विद्यालयों का संचालन कराना सुनिश्चित करें, साथ ही समस्त विद्यालयों से समय-समय पर पूर्ण सूचनाएं विवरण प्राप्त कर पत्रावली में सुरक्षित रखें ताकि आवश्यकता पड़ने पर सूचनाएं आपके माध्यम से प्राप्त की जा सकें और विद्यालयों का सतत निरीक्षण करते रहें।
6. सम्बन्धित प्रबन्धक/व्यवस्थापक/प्रधानाचार्य।

(आशारानी पैन्चूली)
मुख्य शिक्षा अधिकारी,
देहरादून।

अपर सचिव,
उत्तरांचल शिक्षा एवं परीक्षा परिषद्,
रामनगर (नैनीताल)

सेवा में,

प्रबन्धक, श्री गोवर्धन सरस्वती विद्यामन्दिर

धर्मपुर - देहरादून

पत्र संख्या : उ0 शि0 एवं प0 प0/मान्यता/रामनगर

430

दिनांक 30.7. 2003

विषय :- आपका होर्ड स्कूल/इण्टरमीडिएट परीक्षा के लिए नवीन/अतिरिक्त (वर्ग/विषय) की मान्यता का प्रार्थना पत्र।
महोदय,

शासन से मान्यता समिति एवं सभापति उत्तरांचल शिक्षा एवं परीक्षा परिषद् की संस्तुति के उपरान्त इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1987/1921 की धारा-7 क/धारा 9 (4) के अन्तर्गत आपके विद्यालय को बालक/बालिका विद्यालय के रूप में परिषद् की 200 4 की होर्डस्कूल/इण्टरमीडिएट परीक्षा से निम्नलिखित वर्ग/विषयों में सामान्य व विशेष प्रतिबन्धों के साथ नवीन/अतिरिक्त वर्ग/विषयों में वित्तविहीन मान्यता दिये जाने का आदेश प्रदान करें।

सामान्य प्रतिबन्ध

- (1) इस पत्र में वर्ग/विषय की नवीन-श्री/11वीं कक्षा संचालित करने के पूर्व शिक्षा के प्रबन्ध से (जैसे अध्यापकगण, सज्जा, शिक्षण-सामग्री, प्रयोगशाला, भवन, पुस्तकालय, स्थान, ग्रामूत, सुरक्षित कोष एवं आर्थिक स्थिति और अन्य प्रतिबन्धों की पूर्ति) तथा विद्यालय के अनुशासन व प्रशासन से जिला विद्यालय निरीक्षक को पूर्णरूपेण संतुष्ट करें। इसके लिए संस्थाधिकारी ही स्वयमेव उत्तरदायी होंगे।
- (2) इस आदेश-पत्र के निर्गत होने की तिथि से दो वर्ष के अन्दर ही जिला विद्यालय निरीक्षक/मंडलीय उप शिक्षा निदेशक (मा0) से-श्री/11वीं कक्षा संचालित करने की अनुमति प्राप्त कर ली जाय, अन्यथा इस पत्र द्वारा प्रदत्त मान्यता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
- (3) सज्जा की व्यवस्था शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार की जाय। इसके लिए सिंगिल सीटेड डेस्क व चेयर्स ही स्वीकार किये जायेंगे।
- (4) इस पत्र में अंकित विषयों के अध्यापनार्थ परिषद् द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं से विमुषित अंशकालिक अध्यापकों/अध्यापिकाओं की नियुक्ति नियमानुसार की जाय।
- (5) नियमानुसार एक योग्य प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या की नियुक्ति की जाय।
- (6) नवीन कक्षाएं संचालित करने का समस्त व्यय संस्थाधिकारी स्वयमेव वहन करें।

(कृ० प० उ०)

(2)

विशेष प्रतिबन्ध

- (क) संस्था द्वारा प्रेषित मान्यता सम्बन्धी विवरण में यदि कोई सूचना गलत पायी जाती है तो विद्यालय को प्रदत्त मान्यता निरस्त कर दी जायेगी।
- (ख) इण्टर स्तर की प्रयोगशाला एवं विज्ञान उपकरणों एवं यंत्रादि का मानकानुसार क्रय कर लिये जाय।

वर्ग व विषयों का विवरण

वर्ग	अनिवार्य विषय	वैकल्पिक विषय
इण्टर नवीन विज्ञान वर्ग	हिन्दी	अंग्रेजी, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान जीव विज्ञान, गणित

वाणिज्य वर्ग

वहिबाता तथा लेखा शास्त्र
व्यापारिक संगठन एवं पत्र व्यवहार
सूत्रा वैकिर्ग एवं अध्यासत्र

टिप्पणी- कक्षा-11-में प्रवेश हेतु कम से कम-प्रत्येक वर्ग में 40 छात्र उपलब्ध होने तथा इस पत्र में अंकित समस्त प्रतिबंधों (नियुक्तियों को छोड़कर) की पूर्ति होने के उपरान्त ही निरीक्षक/निरीक्षिका कृपया कक्षा संचालन की अनुमति प्रदान करें।

भवदीय
(अपर सचिव)

पृष्ठांकन संख्या : 30 शि0 एवं प0 50/मान्यता/रामनगर तद दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (1) जिला विद्यालय निरीक्षक - देहरादून।
- (2) मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक - गुरुवाल मखल - पौड़ी।
- (3) शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड, 2 सुर्गोब रोड, देहरादून।

(अपर सचिव)